TRAI RECOMMENDATIONS TO PROMOTE BROADBAND

"Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband speed."

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) released its recommendations on "Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband speed".

Department of Telecommunications (DoT) as per objectives of the National Digital Communications Policy-2018 sought recommendations of the Authority on issues relating to the broadband speed and its categorizations, infrastructure creation, and promoting broadband connectivity.

Accordingly, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) issued a Consultation Paper (CP) on "Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband Speed" dated 20th August 2020 seeking comments and counter comments from stakeholders. Open House Discussion (OHD) was conducted on 18.02.2021 through video conferencing.

TRAI सत्यमेव जयते
Telecom Regulatory Authority of India
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

DoT vide it's another reference letter dated 12th March 2021 sought consolidated and updated recommendations on proliferation of fiXed-line broadband services in the Country. In this reference DoT referred additional issues relating to License Fee exemption and direct benefit to consumers. To consult these issues with stakeholders, a supplementary CP was issued on 19th May 2021. Open House Discussion (OHD) was conducted on 23.06.2021.

Based on the inputs received from the stakeholders and on its own analysis, TRAI has finalized its recommendations on 'Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband speed'. The salient features of the recommendations are as follows:

(i) Definition of broadband has been reviewed and the minimum download speed for broadband connectivity revised upward from the present

ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए ट्राई की सिफारिशें

'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप पर अपनी सिफारिशें जारी की है।'

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति **2018** के उद्देश्यों के अनुसार ब्रॉडबैंड की गति और उसके वर्गीकरण, बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी हैं।

तदनुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने **20** अगस्त **2020** को 'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियों की मांग की गयी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से **18.02.2021** को ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) आयोजित किया गया था।

डॉट ने अपने **12** मार्च **2021** के एक अन्य संदर्भ पत्र के माध्यम से देश में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार पर समेकित और अद्यतन सिफारिशों की मांग की। इस संदर्भ में डीओटी ने उपभोक्ताओं को लाइसेंस शुल्क छूट और प्रत्यक्ष लाभ से संबंधित अतिरिक्त मुद्दों को संदर्भित किया। हित धारकों के साथ इन मुद्दों पर परामर्श करने के लिए **19** मई **2021** को एक पूरक सीपी जारी किया गया था। एकबार फिर से ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) **23.06.2021** को आयोजित किया गया था।

हितधारकों से प्राप्त इनपुट और स्वंय के विश्लेषण के आधार पर, ट्राई ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड की गति बढ़ाने के लिए रोडमैप पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैः

(i) ब्रॉडबैंड की परिभाषा की समीक्षा की गयी है और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोड गति को मौजूदा **512** केबीपीएस से

512Kbps to 2Mbps. Based on download speed, fiXed broadband has been categorized into 3 different categories - Basic, Fast and Super-fast.

(ii) To encourage lakhs of cable operators to provide broadband services, the Authority's past recommendation on "Definition of Revenue Base (AGR) for the Reckoning of Licence Fee and Spectrum Usage Charges" has been reiterated.

(iii) To enhance mobile broadband speed in rural and remote areas by fiberisation of the cellular networks, backhaul connectivity on optical fiber using the BharatNet network with Service Level Agreements (SLA) should be made available to service providers.

(iv) To incentivise investment in the last-mile linkage for fixed-line broadband, notify a skill development plan and an interest subvention scheme for Cable Operators registered as Micro and Small size enterprises.

(v) To enhance mobile broadband speed, radio spectrum used for backhauling connectivity of cellular networks should be assigned to service providers on demand and in time bound manner.

(vi) Creation of National Portal for RoW permissions to facilitate expeditious rollout of telecom and other essential utilities infrastructure.

(vii) Incentivize establishment of common ducts and posts for fiberisation of networks. In line with BhartNet Project, exempt RoW charges for next five years for expeditious laying of common ducts and posts.

(viii) A Centrally Sponsored Scheme (CSS) to incentivize States/ UTs for RoW reforms. Incentives to be linked to the net improvement in the Broadband Readiness Index (BRI) score of a State/ UT.

(ix) Mandates co-deployment of common ducts during the construction of any roadway, railway, and water & gas pipelines receiving public funding.

(x) To facilitate the sharing of passive infrastructure such as ducts, optical fibers, posts, etc., all the passive infrastructure available in the country should be

बढ़ाकर **2** एमबीपीएस कर दिया गया है। डाउनलोड स्पीड के आधार पर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड को **3** अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है-बेसिक, फास्ट और सुपर फास्ट।

(ii) लाखों केबल ऑपरेटरों को ब्रॉडबैंड सेवायें प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा पर प्राधिकरण की पिछली सिफारिशों को दोहराया गया है।

(iii) सेलुलर नेटवर्क के फाइबराइजेशन द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड की गति बढ़ाने के लिए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स (एसएलए) के साथ भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करके ऑप्टिकल फाइबर पर बैकहॉल कनेक्टिविटी सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iv) फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड के लिए लास्ट माइल लिंकेज में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म और लघु आकार के उद्यमों के रूप में पंजीकृत केबल ऑपरेटरों के लिए एक कौशल विकास योजना और एक ब्याज सबवेंशन योजना को अधिसूचित करना।

(v) मोबाइल ब्रॉडबैंड की गति को बढ़ावा देने के लिए सेलुलर नेटवर्क की बैकहॉलिंग कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किये जाने वाले रेडियो स्पेक्ट्रम को सेवा प्रदाताओं को मांग पर और समयबद्ध तरीके से सौंपा जाना चाहिए।

(vi) दूरसंचार और अन्य आवश्यक उपयोगिताओं के बुनियादी ढ़ांचे के तेजी से रोलआउट की सुविधा के लिए आरओडब्लू अनुमतियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण।

(vii) नेटवर्क के फाइबराइजेशन के लिए कॉमन डक्ट्स और पोस्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करना। भारतनेट परियोजना के अनुरूप कॉमन डक्ट्स और पोस्टों को तेजी से बिछाने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए आरओडब्लू शुल्क में छूट।

(viii) आरओडब्लू सुधारों के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू करना। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (बीआरआई) स्कोर में शुद्ध सुधार से जुड़े होने के लिए प्रोत्साहन।

(ix) सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाले किसी भी सड़क मार्ग, रेलवे, पानी और गैस पाइपलाइनों के निर्माण के दौरान सामान्य नलिकाओं की सह तैनाती को अनिवार्य करता है।

(x) डक्ट्स, ऑपटिकल फाइबर, पोस्ट इत्यादी जैसे निष्क्रिय बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने की सुविधा के लिए देश में उपलब्ध सभी निष्क्रिय बुनियादी ढ़ांचे को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग

mapped by each service provider and infrastructure provider using Geographic Information System (GIS). The Telecom Engineering Center (TEC) should notify the standards for this purpose. Establishment of e-marketplace on common GIS platform to facilitate leasing and trading of passive infrastructure.

(xi) Target linked incentive i.e. License Fee (LF) exemption on specified revenues to eligible licensees for proliferation of fixed-line broadband services in urban and rural areas.

(xii) A pilot DBT (Direct Benefit Transfer) scheme in rural areas for proliferation of fixed-line broadband subscribers. After ascertaining the practicability of the pilot DBT scheme in accelerating the growth of fixed-line broadband services; specifics of the DBT scheme like eligibility criteria for beneficiaries, quantum of benefit, period of the scheme etc. to be worked out subsequently.

The recommendations on 'Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband speed' have been placed on TRAI's website www. trai.gov.in ■

करके सेवा प्रदाता और आधारभूत संरचना प्रदाता द्वारा मैप किया जाना चाहिए।

टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) को इस उद्देश्य के लिए मानकों को अधिसूचित करना चाहिए। निष्क्रिय बुनियादी ढ़ांचे के पट्टे और व्यापार की सुविधा के लिए सामान्य जीआईएस प्लेटफॉर्म पर ईमार्केटप्लेस की स्थापना करना।

(xi) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए पात्र लाइसेंसधारियों को निर्दिष्ट राजस्व पर लक्षित लिंक प्रोत्साहन यानि लाइसेंस शुल्क (एलएफ) छूट।

(xii) फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड ग्राहकों के प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) योजना। फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के विकास में तेजी लाने में पायलट डीबीटी योजना की व्यावहारिकता का पता लगाने के बाद, डीबीटी योजना की बारीकियों जैसे लाभार्थियों के लिए पात्रता मापदंड, लाभ की मात्रा, योजना की अवधि आदि पर बाद में काम किया जायेगा।

'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने के लिए रोडमैप पर सिफारिशों को ट्राई के वेबसाइट www. trai.gov.in पर देखा जा सकता है। ■